प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय **1** एवं **2** में 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष में राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखा तथा विनियोजन लेखा की जाँच से उठे मामलों पर लेखा परीक्षा टिप्पणी शामिल है । जहाँ आवश्यक हुआ, बिहार सरकार से सूचना प्राप्त किया गया है ।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर अध्याय **3** विभिन्न वित्तीय नियम, प्रक्रिया एवं निदेशों के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत करता है ।